

बिहार स्टेट माइक्रोफिन्स फाईनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईवा रोड, (अन्ती इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorporatna@gmail.com. website:www.bsmlfc.org)

संख्या:- 923 बी.एस.एम.एफ.सी./ पटना, दिनांक: ---

स्वीकृतपत्र

राज्य सम्पादित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार रक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिला स्तरीय चयन समिति से दिनांक-22.08.2017 एवं 23.08.2017 को रोहतास जिला के चयनित आवेदकों में से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा डिटेन कमाजाल प्राप्त कर उनका स्थल जाँच कर स्थल जाँच प्रतिवेदन में रक्षण की स्वीकृति के लिए की गयी अर्जनामा के आधार पर निम्न 1 लाभक को उनके नाम के सामने अधिकतम डेढ़ में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दशसि गए रक्षण को स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत रक्षण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात इनके द्वारा सम्पादित किये गये कोटेशन के आधार पर नीचे दिये गये कल्याण में दशसि गये राशि के बाद कोटेशन में अधिकतम गेट एवं गोल सामग्री के मूल्य की अन्तर राशि सम्बन्धित रक्षणवेदक के द्वारा आपूर्तिकर्ता को जमा किये जाने तथा उनसे भुगतान से सम्बन्धित मनी रसीद अथवा साक्ष्य की प्रति प्राप्त कर सम्पादित किये जाने के बाद रक्षण को गेट एवं गोल की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता के बैंक खाता में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से अन्तरित करने की अनुमति दी जाती है।

Sl. No.	Name/Father's Name & Address	Trade	Sanctioned Loan Amount	Processing Charge Less 0.5%	Net Payable Amount
1	ISTAYAK AHMAD, S/O- MD MURTUZA, VIL-NEEL KOTHI, Block-DEHRI, PS- DEHRI, PO-DEHRI, Distt.-ROHTAS-	GATE & GRILL SHOP- Supplier M/S.- SIDHI SINGH, GANDHI NAGAR, BUDHA MARG, DEHRI- ON-SONE, ROHTAS- 821307	500000	2500	497500
		TOTAL	5,00,000	2500	4,97,500

स्वीकृत रक्षण राशि से वॉलेंट डेढ़ में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा रक्षण राशि से सूचित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन सम्पादित किया जाएगा।

उक्त स्वीकृत रक्षण को रक्षणारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान नैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

प्रादेशिक दिनांक: 20/11/18

प्रादेशिक दिनांक: 20/11/18

प्रादेशिक:- रक्षण राशि/जिला राशि/लेजर राशि (कम्प्यूटर सेक्सन)/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी, प्रभारी की सूचनाएँ एवं अनुपलब्ध प्रेषित।

9/11/18